

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2019—ज्येष्ठ 7, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2019

क्र. बी-15-29-2019-चौदह-2.—मध्यप्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने हेतु वर्ष 2019-20 की रबी की प्याज फसल के लिये मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1-2018-58, भोपाल दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा “मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना” के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

2. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक-1555-2305-2019-चौदह-2, दिनांक 15 मई 2019 से “मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना” वर्ष 2019-20 के लिये मंडियों में प्याज विक्रय हेतु 36 जिलों की 60 मंडी/उप मंडियों को अधिसूचित किया गया है.

3. उक्त के क्रम में उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित रबी प्याज के रकबा एवं किसान संख्या को ध्यान में रखते हुए 60 अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त संलग्न सूची अनुसार 17 मंडियों/उप मंडियों को “मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना” अन्तर्गत प्याज विक्रय हेतु अधिसूचित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश की अतिरिक्त  
अधिसूचित मंडियों की सूची

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	मण्डी सरल क्रमांक (3)	मण्डी/उप मण्डी का नाम (4)
1	राजगढ़	1	ब्यावरा
		2	माचलपुर
2	खरगोन	3	बड़वाह
		4	तराना
		5	बड़नगर
3	उज्जैन	6	खाचरोद
		7	देवास
		8	सोनकच्छ
4	देवास	9	हाटपिपल्या
		10	कालापपीपल
		11	मोहन बड़ोदिया
5	शाजापुर	12	आगर
		13	सुसनेर
6	आगर-मालवा	14	सीतामठ
7	मंदसौर	15	कोलारस
8	शिवपुरी	16	रायसेन
9	रायसेन	17	विदिशा
10	विदिशा		